प्रारूप–3

भाग–2 सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जायेगा

1- परियोजना या स्कीम की अवस्थिति — जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड खिर्सू में गवाणा मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण

i. राज्य / संघराज्य क्षेत्र — उत्तराखण्ड

ii. जिला — पौड़ी गढ़वाल

iii. प्रभाग का नाम — सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी

iv. पूर्वेक्षण के लिये उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र — 2.250 है0

2- पूर्वेक्षण के लिये पहचानी गई वन भूमि की विधिक स्थितिः — सिविल वन भूमि

3- अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः

i. वन का प्रकार — चीड़ वन

ii. वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व — 0.3

iii. प्रजातिवार स्थानीय या बैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिये अपेक्षित वृक्षों की परिगणना — प्रमाण पत्र संलग्न है।

iv. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिये कार्यकरण योजना का नक्शा — प्रमाण पत्र संलग्न है।

4- भूक्षरण के लिये पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी — प्रमाण पत्र संलग्न है।

5- वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिये उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरीः — प्रस्तावित मोटर मार्ग की आरक्षित वन सीमा से दूरी लभगभ 3.00 किमी0 है।

6- वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जानेवाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ताः

i. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्य जीव का ब्यौरा — नहीं

ii. क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) — नहीं

iii. क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि0मी0 के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) — नहीं

iv. क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि0मी0 के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) — नहीं

v. क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे — नहीं

7- क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किये जाने के लिये सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन0ओ0सी0) के साथ उसका ब्योरा दें। — नहीं

8- पूर्वेक्षण के लिये उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें

i. क्या भाग–1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिय अति न्यूनतम है। — अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।

ii. यदि नहीं तो वन भूमि के सिफसरिश किये गये क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिये उपयोग किया जा सकता हैं — नहीं

9- किये गये अतिक्रमण के ब्यौरे :

i. क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हॉ/नहीं) — नहीं

ii. यदि हॉ, की गई कार्य अवधि अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी के लिये उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरूद्ध की गई कार्यवाही — नहीं

iii. क्या अतिक्रमण में कार्य अभी भी प्रगति पर है (हॉ/नहीं) — नहीं

10- क्षतिपूरक वन रोपण स्कीम के ब्यौरे :

i. क्षतिपूरक वन रोपण बढ़ाने के लिये पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। — सिविल भूमि

ii. अवस्थिति सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वन रोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। — जोगड़ी सिविल की आरक्षित वन सीमा से दूरी 1.50 किमी0

iii. क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं — मानचित्र संलग्न है। पृष्ठ सं0.....पर।

iv. रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण समय सूची लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हॉ/नहीं) — हॉ

v. क्षतिपूरक वन रोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्ययः — ₹ 886396.00

vi. क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिये और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबन्धित उप वन संरक्षक से प्रामण–पत्र संलग्न है (हॉ/नहीं) — हॉ

11- वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हॉ/नहीं। — हॉ

12- स्वीकृति या अन्यथ कारणों के साथ प्रस्ताव के लिये उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें — जनहित को मध्यनजर रखते हुये संस्तुति की जाती है।

स्थान :– पौड़ी
तारीख 14/03/2016

हस्ताक्षर नाम :–
शासकीय मुद्रा

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एंव सोयम
वन प्रभाग पौड़ी